Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी नदीम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त नदीम पुत्र सगीर निवासी जौता थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 224/21 धारा 376//363/366 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 10.04.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नदीम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

नरेन्द्र पंवार
एडीजीसी

है0का0 रवि कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 10.04.2026**

थाना खेकडा पर माल मुकदमाती में दाखिल कुल 37 वाहनों (कीमत 02 लाख 82 हजार रुपये) की नीलामी के सम्बन्ध में

कार्यवाही-

दिनांक 10.04.26 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना खेकडा पर वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक के माल मुकदमाती में दाखिल वाहनों की नीलामी क्षेत्राधिकारी खेकडा, नायब तहसीलदार खेकडा व प्रभारी निरीक्षक खेकडा की उपस्थिति में की गयी । उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल-13 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल-37 वाहनों (33 दो पहिया , 03 चार पहिया वाहन व 01 ट्रैक्टर) जिसका सरकारी मुल्यांकन 1 लाख 86 हजार 900 रुपये जिसकी उच्चतम बोली बोलीदाता मुन्नबर पुत्र ताहिर निवासी हापुड को 02 लाख 82 हजार रुपये की नीलामी कर छोडी गयी।